



प्रेषक,

अन्नावि दिनेशकुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,

उ0प्र0, लखनऊ ।

गृह(पुलिस) अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 15-04-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के व्यय हेतु अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध-03-एस0डी0आर0एफ0 का गठन" में प्रावधानित धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में होने वाले व्यय को वहन किये जाने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के आधार पर अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध-03-एस0डी0आर0एफ0 का गठन" में प्रावधानित धनराशि **रु0 91,53,44,000/- (रुपये इक्यानबे करोड़ तिरेपन लाख चौवालीस हजार मात्र)** को अधोलिखित विवरणानुसार श्री राज्यपाल पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 द्वारा निर्धारित नियम/शर्तें/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (2) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखा जाना मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है । जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हों, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये ।
- (3) 'व्यय की नई मदों, अंशपूँजी विनियोजन तथा ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ शासन की सहमति से जारी की जायेंगी ।
- (4) समस्त केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि के उपरान्त केवल प्राप्त केन्द्रांश के समतुल्य धनराशि तथा उसके संगत राज्यांश की धनराशि ही योजना के एस.एन.ए. एकाउण्ट में स्थानान्तरित की जायेगी ।
- (5) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा धनराशि स्वीकृत किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति/अनियमितता न हो । किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति/अनियमितता हेतु उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी होगा ।
- (6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (7) निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के आलोक में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा । किसी भी प्रकार की अनियमितता /ऑडिट आपत्ति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/सम्बन्धित इकाई का होगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2245801020300 (एस0डी0आर0एफ0 का गठन)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	01 वेतन	44,89,00,000 (रुपये चौवालीस करोड नवासी लाख मात्र)
2	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	02 मजदूरी	56,70,000 (रुपये छप्पन लाख सत्तर हजार मात्र)
3	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	03 मंहगाई भत्ता	29,17,85,000 (रुपये उनतीस करोड सत्रह लाख पचासी हजार मात्र)
4	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	04 यात्रा व्यय	3,22,00,000 (रुपये तीन करोड बाईस लाख मात्र)
5	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6,51,000 (रुपये छह लाख इक्यावन हजार मात्र)
6	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	06 अन्य भत्ते	2,89,83,000 (रुपये दो करोड नवासी लाख तिरासी हजार मात्र)
7	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	08 कार्यालय व्यय	47,20,000 (रुपये सैंतालीस लाख बीस हजार मात्र)
8	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	09 विद्युत देय	1,14,70,000 (रुपये एक करोड चौदह लाख सत्तर हजार मात्र)
9	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	10 जलकर / जल प्रभार	22,00,000 (रुपये बाईस लाख मात्र)
10	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	7,70,000 (रुपये सात लाख सत्तर हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

11	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	12,60,000 (रुपये बारह लाख साठ हजार मात्र)
12	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	13 टेलीफोन पर व्यय	98,000 (रुपये अठ्ठानबे हजार मात्र)
13	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,94,25,000 (रुपये दो करोड़ चौरानबे लाख पच्चीस हजार मात्र)
14	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	14,35,000 (रुपये चौदह लाख पैंतीस हजार मात्र)
15	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	29 अनुरक्षण	6,12,000 (रुपये छह लाख बारह हजार मात्र)
16	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	42 अन्य व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
17	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	1,13,000 (रुपये एक लाख तेरह हजार मात्र)
18	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
19	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,20,000 (रुपये एक लाख बीस हजार मात्र)
20	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	7,50,000 (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)
21	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

22	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	49 चिकित्सा व्यय	1,51,82,000 (रुपये एक करोड़ इक्यावन लाख बयासी हजार मात्र)
23	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	51 वर्दी व्यय	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
24	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	55 मकान किराया भत्ता	1,87,50,000 (रुपये एक करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार मात्र)
25	026	2245801020300 एस0डी0आर0एफ0 का गठन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	67,50,000 (रुपये सड़सठ लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			91,53,44,000 (रुपये इक्यानबे करोड़ तिरेपन लाख चौवालीस हजार मात्र)

महायोग	91,53,44,000 (रुपये इक्यानबे करोड़ तिरेपन लाख चौवालीस हजार मात्र)
--------	--

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अन्नावि दिनेशकुमार
विशेष सचिव ।

संख्या-310/2026/11296948/2026/069-6-7002-2-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा/आडिट) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण/फायर सर्विस/ अर्थ विषयक अभिसूचना इकाई / रेलवे पुलिस /सीआईडी, उ0प्र0, लखनऊ।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी /अभिसूचना विभाग/भ्रष्टाचार निवारण संगठन/ तकनीकी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

सेवायें/यातायात/एस0टी0एफ0/विशेष जांच, उ0प्र0, लखनऊ।

8. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

9. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

10. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ।

11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

12. गृह (पुलिस) अनुभाग-1, 2, 6, 8, 8(लेखा), 9, 10, 15, 16 एवं गोपन अनुभाग-2/3, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
दीपक पटेल
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।